अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांक 18.06.2021 को अपरान्ह् 03.00 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पी0एम0 स्वनिधि की प्रगति के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय निदेशालय में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, सूडा, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ।
4. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
5. एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
6. एस0एल0टी0सी0, सूडा।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थितिः–

1. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. परियोजना अधिकारी, समस्त जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):–

सर्वप्रथम निदेशक, सूडा द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बी0एल0सी0 घटक में स्वीकृत 14.70 लाख आवासों में से अनुमानित अभ्यर्पण के पश्चात् लगभग 12.25 लाख लाभार्थी पात्र होगें। 12.25 लाख आवासों को मिशन अवधि तक पूर्ण किए जाने हेतु माहवार माइलस्टोन तैयार कर जनपदों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें से 11 लाख आवासों पर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है तथा 1.25 आवास अनारम्भ हैं।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि भारत सरकार द्वारा 100 Days Challenge 21 जून से 30 सितम्बर, 2021 तक कर दिया गया है अर्थात् सितम्बर तक ही समय है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक दशा में 30 जून, 2021 तक जून माह के लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जाये। यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में से एक है। कुछ जनपदों द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है, जिस कारण प्रदेश पिछड़ रहा है। अनारम्भ 1.25 लाख आवासों को 01 माह में प्रारम्भ करा दिए जाये, जिससे 31 मार्च, 2022 तक आवासों को पूर्ण किया जा सके तथा अनारम्भ आवासों वाले जनपदों की साप्ताहिक समीक्षा की जाये।

1. यह भी अवगत कराया गया कि जून माह के माइलस्टोन के सापेक्ष जनपद आगरा, फिरोजाबाद, रामपुर, मथुरा एवं बुलन्दशहर की प्रगति सबसे खराब है। परियोजना निदेशक, आगरा एवं भदोही द्वारा शीघ्र ही कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। निर्देशित किया गया कि नियमित समीक्षा करते हुए आगामी 10 दिवस में कार्य पूर्ण करायें।

2. अवगत कराया गया कि जून माह के माइलस्टोन के सापेक्ष जनपद फिरोजाबाद में 1563, बुलन्दशहर में 1517, मिर्जापुर में 1477, सहारनपुर में 1462 एवं रामपुर में 1353 स्लैब कास्ट लम्बित है, जिस पर निर्देशित किया गया कि 30 जून, 2021 तक प्रत्येक दशा में जून माह के माइलस्टोन के सापेक्ष शत–प्रतिशत स्लैब कास्ट कराना सुनिश्चित करें।

3. इसके पश्चात् अवगत कराया गया कि प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष जनपद आगरा में 10299, रामपुर में 8046, बुलन्दशहर में 6423, भदोही में 6080 एवं मथुरा में 5311 लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान लम्बित है। नगर आयुक्त, न0नि0 मथुरा द्वारा 10 दिवस में प्रथम किश्त का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। भदोही के परियोजना निदेशक द्वारा भी शीघ्र ही प्रथम किश्त का भुगतान करने का

आश्वासन दिया गया। निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त का लम्बित भुगतान प्रत्येक दशा में 08 दिवस के अन्दर पूर्ण कराये। पेन्डेंसी शून्य होनी चाहिए।

4. यह भी अवगत कराया गया कि, प्लिन्थ लेवल जिओ टैग के सापेक्ष जनपद रामपुर में 1217, श्रावस्ती में 995, मेरठ में 940, कानपुर देहात में 757 एवं मिर्जापुर में 755 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान लम्बित है। परियोजना निदेशक मिर्जापुर, रामपुर एवं मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि 4–5 दिन में सभी लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी जायेगी। निर्देशित किया गया कि 05 दिवस में सभी लाभार्थियों को लम्बित द्वितीय किश्त का भुगतान करते हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करायें।

5. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि जनपद बलिया, श्रावस्ती, औरेया, अमेठी एवं रामपुर में प्रत्येक किश्त के भुगतान से पूर्व लाभार्थी की जाँच करायी जा रही है, जिससे अनावश्यक रूप से परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है। शासनादेश सं0–568/69–1–2019 दिनांक 01 जुलाई, 2019 में भी बार–बार जाँच के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया गया है। लाभार्थी द्वारा कराये गये कार्य की पुष्टि जिओ टैग के फोटोग्राफ से की जा सकती है।

निर्देशित किया गया कि यदि लाभार्थी की प्रथम किश्त से पूर्व जाँच करायी जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय एवं तृतीय किश्त से पूर्व जाँच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि किसी पात्र लाभार्थी के सम्बन्ध में कोई पुष्ट साक्ष्य सहित कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस लाभार्थी की सम्यक जाँच कराने के उपरान्त ही अग्रेत्तर किश्त अवमुक्त की जाये।

6. अवगत कराया गया कि मिशन अवधि समाप्ति की ओर है तथा भारत सरकार से तृतीय किश्त की धनराशि प्राप्त की जानी है, जिसके लिए रू0 3,000/– करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हैं। जनपद भदोही, पीलीभीत एवं बरेली द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कराने के पश्चात् मूल प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा मथुरा की रू0 148.91 लाख एवं जौनपुर की रू0 129.25 लाख के उपयोगिता पत्र अभी भी लम्बित हैं।

परियोजना निदेशक, भदोही, मथुरा एवं बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि मूल प्रति आज भेज दी गयी है। परियोजना निदेशक, जौनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करा दिये गये हैं, दिनांक 19.06.2021 तक मूल प्रति सूडा को उपलब्ध करा दी जायेगी।

निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जिन जनपदों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की मूल प्रति सूडा को उपलब्ध नहीं करायी है, वो तत्काल विशेष पत्र वाहक द्वारा मूल प्रति उपलब्ध करायें तथा जिन जनपदों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं, वे 03 दिवस में हस्ताक्षर कराते हुए मूल प्रति सूडा को उपलब्ध करा दें, जिससे भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए:–

- योजना का मुख्य संचालक डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट्स है, इनके कार्यों की नियमित समीक्षा की जानी आवश्यक है। माहवार लक्ष्य के सापेक्ष की गयी प्रगति की समीक्षा कन्सलटेन्टवार प्रत्येक माह के अन्त में की जाये तथा खराब प्रगति वाले कन्सलटेन्ट को हटा दिया जाये। इसके अतिरिक्त एक माइलस्टोन जिओ टैग का भी बनाया जाये, जिससे उसकी भी मासिक समीक्षा की जा सके।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लक्ष्य की पूर्ति हेतु नियमित समीक्षा की जाये। जिन निकायों में अपात्रों का अभ्यर्पण किया जाना है, उनके रिप्लेसमेन्ट की डी0पी0आर0 30 जून, 2021 तक सूडा को उपलब्ध करा दें।

पी0एम0 स्वनिधि के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गएः–

- शासनादेश संख्या–1058 दिनांक 02.06.2021 के द्वारा निर्गत शहरवार ऋण वितरण के संशोधित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति की जाए।
- बैंको द्वारा रिटर्न आवेदनों की जॉच कर आवेदनों को अपडेट कराते हुए ऋण स्वीकृत एवं वितरण कराये जाए।
- जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक नियमित रुप से करते हुए पीएम स्वनिधि के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाये।
- ऋण प्राप्त कर चुके पथ विक्रेताओं का समय पर अथवा समय से पहले ऋण वापसी कराये जाने हेतु चिन्हित किया जाये और उनको दूसरा ऋण (11 से 20 हजार) उपलब्ध कराया जाये।
- ऋण आवेदन हेतु शहरी पथ विक्रेताओं को प्रेरित किया जाये। साथ ही साथ डिजिटल लेनदेन हेतु डिजिटल ट्रेनिंग एवं समय से किश्तों का भुगतान कराये जाने हेतु लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाये।
- शहरी पथ विक्रेता डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु जानकारी एवं जागरुकता की जाये, ताकि कैशबैक प्राप्त हो और समय से किश्तों का भुगतान हो सके।
- पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने एवं बैंको से संबंधित कार्य/समस्याएं, डिजिटल ट्रेनिंग इत्यादि हेतु लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी द्वारा स्वनिधि मित्र नियुक्त किये गये है। इसी प्रकार अन्य नगर निकाय भी स्वनिधि मित्र नियुक्त करें, ताकि योजनान्तर्गत लाभार्थियों को ससमय अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।
- स्वनिधि मित्र नियुक्ति हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन एवं कौशल प्रशिक्षण विभाग और सेवायोजन विभाग से सम्पर्क कर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अप्रेन्टिसशिप रहें प्रशिक्षणार्थियों की सेवायें स्वनिधि मित्र के रुप में ली जाए। नियुक्ति किये गये स्वनिधि मित्रों को योजना से संबंधित प्रशिक्षण भी समूह में कराया जाए।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक सूडा

पत्रांकः– 594 /01/तीस/कार्यक्रम–Vol-III/2021–22 दिनांकः–22 जून, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक सूडा